



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47054

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3185 वर्ष 2026

यासीन खान

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: अखिलेश कुमार मिश्र, रश्मि उपाध्याय
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता अखिलेश कुमार मिश्र तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।

2. याची का कथन है कि उसे प्रारंभ में राजस्व विभाग में कमीशन अमीन के पद पर नियुक्त किया गया था तथा वह दिनांक 31.07.2021 को सेवानिवृत्त हुआ। याची को पेंशनरी लाभों का भुगतान न किए जाने के कारण, याची द्वारा रिट-ए संख्या 21447 वर्ष 2021 प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 28.04.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:-

“1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता सुश्री शाची श्रीवास्तव को सुना गया।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह आपत्ति उठाई गई कि याची को प्रधान सचिव, सहकारिता को पक्षकार बनाना चाहिए था, न कि प्रधान सचिव, राजस्व, क्योंकि याची ऐसे विभाग में कार्यरत था जो प्रधान सचिव, सहकारिता के अधीन आता है। अतः याची के विद्वान अधिवक्ता को आज ही के दिन पक्षकारों की सूची में प्रत्यर्थी संख्या 1 के विवरण में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. अभिलेख पर उपलब्ध निर्विवाद तथ्यों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि सेवानिवृत्ति उपरांत देयों के रूप में 12 लाख रुपये की धनराशि लंबित है, जिसके संबंध में दिनांक 28.02.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया था:-

“याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता सुश्री शाची श्रीवास्तव को सुना गया।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्तमान याचिका के माध्यम से याची द्वारा निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की गई है:-

“(क) प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे याची को वेतन बकाया, ग्रेच्युटी, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की धनराशि नियत अवधि के भीतर बाजार दर से ब्याज सहित प्रदान करें।

(ख) प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह याची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण निश्चित अवधि के भीतर करे।

अभिलेख से स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने दिनांक 08.02.2023 को विद्वान स्थायी अधिवक्ता से निर्देश प्राप्त करने हेतु कहा था कि याची के सेवानिवृत्ति उपरांत देयों का भुगतान क्यों नहीं किया गया तथा इसके भुगतान में विधिक बाधा क्या है।

इसके अनुपालन में विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.02.2023 के लिखित निर्देश प्रस्तुत किए गए, जो सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, जनपद संत कबीर नगर के हस्ताक्षर से जारी हैं, जिसमें यह कहा गया है कि याची के बकाया देयों के भुगतान हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं तथा यह स्वीकार किया गया है कि भुगतान में विलंब हुआ है और शेष देयों का भुगतान शीघ्र किया जाएगा, किन्तु इसके लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं की गई है।

विलंब का कारण निधि का अभाव बताया गया है, जो विधि की दृष्टि में स्वीकार्य कारण नहीं हो सकता। इस परिप्रेक्ष्य में, विद्वान स्थायी अधिवक्ता से पुनः निर्देश प्राप्त करने को कहा गया तथा मौखिक निर्देशों के आधार पर अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा सूचित किया गया कि कुल 54 लाख रुपये के बकाया में से 42 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष 12 लाख रुपये का भुगतान शीघ्र किया जाएगा।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित करता है कि वह शेष बकाया धनराशि का भुगतान आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करे। यदि ऐसा विधिसम्मत कारण के बिना नहीं किया जाता है, तो न्यायालय ब्याज के भुगतान एवं विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारण के संबंध में आगे की कार्यवाही पर विचार करेगा।”

इस प्रकरण को पुनः दिनांक 28.04.2023 को सूचीबद्ध किया जाए।”

4. आज, विद्वान स्थायी अधिवक्ता सुश्री शाची श्रीवास्तव द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, संत कबीर नगर से प्राप्त निर्देश प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है। उक्त निर्देशों से यह परिलक्षित होता है कि कलेक्शन अमीन के सेवानिवृत्ति देयक जिला लेखा कलेक्शन फंड से देय हैं तथा उक्त फंड में मात्र 1 लाख रुपये ही उपलब्ध हो सके हैं, जिसके फलस्वरूप याची को सहकारी बैंक लिमिटेड, मुख्य शाखा, गोला बाजार, खलीलाबाद, संत कबीर नगर द्वारा निर्गत चेक संख्या

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



072483 दिनांक 19.04.2023 के माध्यम से 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। उक्त चेक की प्रति आज न्यायालय में याची के अधिवक्ता को प्रदान की गई है तथा उसकी प्रतिलिपि अभिलेख पर ली गई है।

5. यह निर्विवाद तथ्य है कि याची की नियुक्ति कलेक्शन चपरासी के रूप में हुई थी तथा वह दिनांक 31.07.2021 को सेवानिवृत्त हुआ, किन्तु दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी याची के स्वीकृत सेवानिवृत्ति देयों का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि निधि के अभाव के कारण सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान नहीं किया जा सका, जिसका संज्ञान इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.02.2023 में लिया जा चुका है।

7. इस न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि निधि के अभाव को याची के वैध दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, फलस्वरूप प्रत्यर्थागण द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया।

8. चूँकि याची राज्य सरकार का कर्मचारी रहा है तथा उसने दिनांक 31.07.2021 को संतोषजनक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, अतः यह राज्य का कर्तव्य है कि याची को उसके सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सुनिश्चित करे, क्योंकि सेवानिवृत्ति देयक कोई अनुग्रह नहीं हैं, बल्कि यह याची द्वारा राज्य के प्रति प्रदान की गई सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप अर्जित अधिकार है।

9. यह विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत है कि पेंशन कोई अनुग्रह नहीं है, बल्कि यह एक सरकारी सेवक द्वारा अर्जित परिश्रम का प्रतिफल है तथा यह संपत्ति के स्वरूप में मानी जाती है।

10. उपर्युक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, यह न्यायालय विद्वान स्थायी अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

11. तदनुसार, यह न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 1, प्रमुख सचिव, सहकारिता विकास, उत्तर प्रदेश सरकार, सिविल सचिवालय, लखनऊ को निर्देशित करता है कि वे आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर याची को शेष सेवानिवृत्ति देयकों एवं मासिक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करें। यदि नियत तिथि से पूर्व भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1, प्रमुख सचिव, सहकारिता विकास, उत्तर प्रदेश सरकार, सिविल सचिवालय, लखनऊ अभिलेखों सहित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह स्पष्ट करेंगे कि याची के शेष देयों के भुगतान में विलंब को किस प्रकार उचित ठहराया जा सकता है तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या योजना निर्धारित की गई है।

12. इस प्रकरण को दिनांक 15.05.2023 को शीर्ष दस वादों में सूचीबद्ध किया जाए।

3. तत्पश्चात दिनांक 15.05.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता सुश्री साची श्रीवास्तव को सुना गया।

याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में याची की अभ्यावेदन का निस्तारण कर दिया गया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, रिट याचिका में अब कोई कारण शेष नहीं रह गया है, फलस्वरूप रिट याचिका निष्प्रभावी होने के कारण निरस्त की जाती है।”

4. वर्तमान रिट याचिका में याची का अभ्यावेदन यह है कि याची को दिनांक 01.05.2023 से जून, 2025 तक की अवधि के लिए 8,01,140/- रुपये की पेंशन बकाया राशि देय है, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है, साथ ही जुलाई, 2025 से अब तक की अतिरिक्त बकाया राशि भी देय है, जिस पर विधिसम्मत ब्याज भी देय है।

5. राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याची के दावे का परीक्षण प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 3, जिला मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

6. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कथनों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याची, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए एक समग्र अभ्यावेदन दिनांक 27.03.2026 तक प्रत्यर्थी संख्या 3, जिला मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी संख्या 3 याची के दावे का निस्तारण दो माह की अवधि के भीतर करेंगे।

7. यदि प्रत्यर्थी संख्या 3 इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकरण का निस्तारण किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है, तो अभिलेखों को समुचित रूप से संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

दिनांक : 09 मार्च, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।